

2019/00191

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम मोहन

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

विवाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 42/19

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वादी शेष (नाश्चवादी दिनांक 03/12/20 को पेश हो। जु.	
	3/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7.12.20 को पेश हो।	
	7/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शेष साक्ष्य वादी शेष पत्रावली दिनांक 18/12/20 को पेश हो। जु.	
	10/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शेष साक्ष्य वादी शेष पत्रावली दिनांक 04/01/21 को पेश हो। जु.	
	4/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शेष साक्ष्य वादी शेष पत्रावली दिनांक 2-2-21 को पेश हो। जु.	
	2/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने इतिहास की प्रतीति प्रेषित की। पेश होने पर शामिल किया है। वकील वादी को वाद पर कसम सुनी गयी। पत्रावली को अवलोकित एवं वकील वादी को वाद पत्र पर की गयी कसम पर मतलब वाले के पत्रावली एवं वकील वादी द्वारा पत्रावली इतिहास का अवलोकित करते के पत्रावली वादी को वाद को जमाना किया जाते उक्ति समझते है। अतः वादी को	

2019/00191

फर्द अहकाम

लाक्ष्मीनारायण बनाम मीहन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 42/19

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>वाद निवार किए जाने पर उक्त आदेश जारी करने में 40 रकबा की धारा 6 के अन्तर्गत आदेश जारी करने के लिए आदेश जारी करने में से <math>\frac{1}{2}</math> हिस्से का खर्च उक्त आदेश के उक्त <math>\frac{1}{2}</math> हिस्से का खर्च उक्त प्रतिवादी को लेना। लगे 8 को साबिक दिनांक अनुसार <math>\frac{1}{2}</math> हिस्से का खर्च उक्त दायित्व किए जाने है तथा 8 दिनों के अन्दर उक्त आदेश जारी है कि उक्त उक्त आदेश के अन्तर्गत उक्त दिनांक के साबिक दिनांक अनुसार उक्त किए जाने उक्त अनुसार राजस्व दिनांक में अन्तर्गत जारी किए जावे। तथा प्रतिवादी से। लगे 8 को अन्तर्गत आदेश जारी करने के अन्तर्गत उक्त उक्त आदेश में जारी करने के <math>\frac{1}{2}</math> हिस्से अनुसार खर्च करते हैं उक्त उक्त आदेश में काया नहीं जले, ताही अन्तर्गत कर। डिफेंस नहीं है। निर्णय न डिफेंस को पालना है तस्वीर जारी है। फावने फेसल धारा के अन्तर्गत उक्त दायित्व उक्त है।</p> <p>आज्ञा दिनांक 2.2.21 को जारी किया रजिस्टर न्यायालय में फाइल में जारी।</p> <p style="text-align: right;">जु</p>

## अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

सीठासीन अधिकारी नीरज कुमार मीणा(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर  
वादी प्रतिवादी

क्र.सं.	वादी	बनाम	प्रतिवादी
1	लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० श्रवणदास		1 मोहन पुत्र स्व० मूलचन्द
2	राजेश पुत्र स्व० रामनिवास		2 रामोतार पुत्र स्व० रामकिशोर
3	दिनेश पुत्र स्व० रामनिवास		3 कैलाश पुत्र स्व० रामकिशोर
4	मोनू पुत्र स्व० रामनिवास		4 राजू पुत्र स्व० रामकिशोर
5	राकेश पुत्र स्व० रामनिवास		5 शान्ति पत्नी स्व० रामकिशोर
6	शकुन्तला देवी पत्नी स्व० रामकिशन		6 पुष्पा पत्नी घनश्याम पुत्रकृष्ण स्व० रामकिशोर
7	प्रेम पुत्री स्व० श्रवणदास		7 रामजीवन पुत्र स्व० कल्याण
8	सीता पुत्री स्व० श्रवणदास		8 सूजी देवी पत्नी स्व० कल्याण
9	समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम चरणगढ तह बस्सी जिला जयपुर।		समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम चरणगढ, तह बस्सी जिला जयपुर।
10	रामेश्वर पुत्र स्व० गोपाल व स्व० नाथी		9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
	गिर्राज पुत्र स्व० गोपाल व स्व० नाथी		10 उपपंजीयक बस्सी / तूगा जिला जयपुर।
	समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम कवरपुरा तह बस्सी जिला जयपुर।		

### दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुरती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु०न० 42/19

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 40 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम चरणगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर मे से 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को तथा 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादीसख्या 1 लगा० 8 को साबिक रिकॉर्ड अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को साबिक रिकॉर्ड अनुसार दुरुरत किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 लगा० 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादीग्रस्त भूमी में वादीगण को 1/2 हिस्से अनुसार काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में वादा न डालें, ना ही बेदखल करें।  
निजी मुबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15.02.2021 को जारी किया गया।

माहर दस्तख्त  
ओहदा

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नाट- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर  
बस्सी जिला जयपुर